

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1335]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938

No. 1335]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

कालीकट, 26 मई, 2016

**का.आ. 1927(अ).**—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि श्रीमति के.सुजाता, ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम, मालमलकावु शाखा कार्यालय, ओट्टुपालम मंडल के विरुद्ध विभागीय जाँच से संबंधित किसी भी दस्तावेज़ के लिए श्री पी.के.रवि, नंबर 6, जीवरत्नम नगर, अडयार, चेन्नाई-20 को गवाह के रूप में बुलाना ज़रूरी है।

केंद्रीय सरकार के विभागीय जाँच (साक्षी उपस्थिति प्रवर्तन एवं दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 के 18) के तहत खण्ड 4 की उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि श्रीमति एम.के.इंदिरा, पोस्टमास्टर ओट्टुपालम मुख्य डाकघर, ओट्टुपालम-679101, श्रीमति के. सुजाता, ग्रामीण डाक सेवक बीपीएम, मालमलकावु शाखा कार्यालय, ओट्टुपालम मंडल के विरुद्ध विभागीय जाँच में उपर्युक्त अधिनियम के खण्ड 5 के तहत भारत सरकार द्वारा दिये गए अधिकारों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

[सं. आईएनवी/4-11/11-12]

अंजलि आनंद, पोस्टमास्टर जनरल

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS****(Department of Posts)****NOTIFICATION**

Calicut, the 26th May, 2016

**S.O. 1927(E).**—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes of the departmental inquiry relating to Smt. K. Sujatha, GDSBPM (under POD), Malamalkavu BO under Ottapalam Postal Division, it is necessary to summon as witnesses/call for any document from Shri P. K. Ravi, No. 6, Jeevaratinam Nagar, Adyar, Chennai-20.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), the Central Government hereby authorizes Smt. M. K. Indira, Postmaster Ottapalam HPO, Ottapalam-679101 as the inquiring authority to exercise the power specified in Section 5 of the said Act in relating to Smt. K. Sujatha, GDSBPM (under POD), Malamalkavu BO under Ottapalam Postal Division.

[No. Inv/4-11/11-12]

ANJALI ANAND, Postmaster General